भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2695

जिसका उत्तर 4 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

13 श्रावण, 1943 (शक)

खातों को आधार के साथ जोड़ा जाना

2695. श्रीमति क्वीन ओझा:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपयोगकर्ताओं के सोशेल मीडिया खातों को उनके संबंधित आधार से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो इसका उद्देश्य और ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए गए/अंतिम रूप दिए जाने के लिए प्रस्तावित नियम और शर्तें क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संदभ में कोई आदेश/अधिसूचना जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उपयोगकर्ताओं के सोशेल मीडिया प्रोफाइल को उनके संबंधित आधार से जोड़ने के फायदे और नुकसान के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास आधार को व्यक्तियों के सोशल मीडिया खातों से लिंक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ): ये प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

****